प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ दिनाँक:- 09-04-2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना मऊदरवाजा पुलिस **मुखबिर खास की सूचना** थाना मऊदरवाजा का **जिला बदर अपराधी शिवाजी उर्फ शिवारा** पुत्र रामपाल निवासी नीवलपुर टटिया थाना जनपद फतेहगढ़ मा0 जिलाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लघंन करते हुये थाना क्षेत्र में ही किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से अवैध असलाह लेकर घूम रहा है और इस समय उसको नीबलपुर माधौपुर तिराहा के पास देखा है। मुखबिर खास की सूचना पर थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये हुये स्थान पर पहुँचे तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि वही शिवाजी उर्फ शिवारा है,जिस पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को बिना मौके दियेनीबलपुर माधौपुर तिराहे से अभियुक्त **शिवाजी उपरोक्त** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना मऊदरवाजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी:-

1- 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- शिवाजी उर्फ शिवारा पुत्र रामपाल नि0 नीबलपुर टटिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास शिवाजी उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 104/19 धारा 363/366/506 भा0द0वि0, थाना मऊदरवाजा
2. मु0अ0सं0 68/2020 धारा 2/3 गुण्डा अधि0, थाना मऊदरवाजा
3. मु0अ0सं0 184/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मऊदरवाजा
4. मु0अ0सं0 185/21 धारा 3/10 गुण्डा अधि0, थाना मऊदरवाजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा जय प्रकाश शर्मा मय पुलिस टीम।